[Dr. Golam Yazadani]

Ratua P. S. aud Chanchal P. S. in the first week of June last, and due to widening of the breach, second phase of serious flood began in the middle of last month. This flood has unexpected, and serious damage to crops, houses and other properties has been done. The best relief will be to close the breach at Dhubal. Bihar Government has been trying to repair the breach, but complete repair has not been made yet. Due to partial repairs, flood water has been less than before, but still the flood has not yet receded completely. To ensure future crops, the breach should be completely repaired. As the civilian authority of Bihar Government has found it difficult to repair the breach uptil now, it is desirable that the breach of the embankment may be repaired by military men on a war footing.

I draw the attention of the Hon. Minister of Irrigation of Centre to take up the matter and get the breach at Dhubal repaired effectively, immediately in the interest of the peasants and others of West Bengal and Bihar.

(iii) Need to reogranise Central Board of Film cencers

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़ गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत सरकार का ध्यान सांस्कृतिक प्रदूषण की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी।

विज्ञापनों, पोस्टरों, फिल्मों, अश्लील साहित्य द्वारा सांस्कृतिक प्रदूषण का जहर युवा पीढ़ी में फैल रहा है। इसके रोकथाम की मांग करूंगी।

वर्तमान में फिल्मों का माध्यम एक सशक्त माध्यम है, जिसका असर करोड़ों व्यक्तियों पर पड़ताहै। पर अभी हम समाज में हिंसा फैलाने वाली सैक्स प्रधान फिल्मों पर कोई नियंत्रण नहीं लगा पाये हैं। दक्षिण भारत की फिल्में हिन्दी फिल्मों से भी अधिक बढ़ कर हैं।

11.41 hrs

[SHRI R S. SPARROW *in the Chair*]

सैंसर बोर्ड पता नहीं कैसे उन्हें पास करता है। यह सत्य है कि अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकारों पर है पर युवा पीढ़ी के लोगों में हिंसा और अपराधी प्रवृत्ति के बढ़ते हुए जहर को रोकना ही होगा। केन्द्रीय सरकार सख्त से सख्त कानून बना कर इस प्रकार सस्ते मनोरंजन के इस संशक्त माध्यम को विशाक्त होने से बचाये। इस कठोर सत्य की ओर अब आखें नहीं मूंदी जा सकती, इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि

1. फिल्म सैंसर बोर्ड का पुनः निर्माण किया जाये।

2. कानूनों में भी संशोधन किया जाना अनिवार्य हो तो संशोधन किया जाये तथा युवा पीढ़ी की बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, हिंसा, अपराध प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।

(iv) Need to constitute a separate Pay Committee to look in to pay structure and service conditions of III Faculty

SHRI PRATAP BHANU SHARMA (Vidisha) : The five Indian institutes of Technology were established as Institutions of National importance by an Act of parliament and commenurate with objectives laid down in the very Act, these institutions have been contributing in the field of science and technology to help advance our nation on the path of industrial and scientific self-reliance.

It is ironical that the faculty of these institutes are getting a raw deal in regard to their pay structure. Currently the pay scales of IIT teachers are the same as those of other colleages and universities. In fact the IIT Faculty has been put to further financial disadvantage while implementing the last pay revision (in 1973) in the sense that IIT's are the only institutes which do not give an examination remuneration to their faculty. Lack of attractive pay structure is escalating brain drain. Our honourable Prime Minister has on several occasions made it clear thatit is our government's policy not only to retain the existing talent in the country but also bring back those talented Indian scientists and technologists who have settled abroad. It is, therefore, important that a separate Pay Committee should be constituted immediately to look exclusively into the payi-structure and service conditions of IIT Faculty. I would request the Minister of Education to look into the matter.

(v) Need for early set up for IFFCO Soda Ash factory at Phulpur

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, सरकार के अनेक आश्वासनों के बावजूद इफको फूलपुर से सम्बन्ध सोडा ऐश फैक्टरी के स्थापित होने का कोई आसार वहां के निवासियों को नहीं दिखाई दे रहा है। इफको उर्वरक कारखाने को स्थापित करने के लिए वहां के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था। उस समय उनसे कहा गया था कि जिन किसानों की भूमि ली गयी है उन्हें उर्वरक कारखाने में सेवा का अवसर प्रदान किया जाया। जब कारखाने में ऐसे सभी किसानों को रोजगार नहीं दिया जा सका, तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि सोडा ऐश फैक्टरी में उन्हें काम दिया जाएगा जो अभी तक भविष्य के अंधकार में है।

30 दिसम्बर, 1981 को माननीया प्रधान मंत्री ने उर्वरक कारखाने का विधिवत उद्घाटन किया था। उक्त अवसर पर माननीय कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि कारखाने के साथ शीघ्र ही सोडा ऐश फैक्टरी स्थापित की जायेगी। मैंने इस सम्मानित सदन के माध्यम से पहले भी इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। अन्य माध्यमों द्वारा भी सरकार का ध्यान बार-बार आकृष्ट किया जा चुका है। देश में सोडा ऐश का उत्पादन भी उसकी मांग की अपेक्षा काफी कम है। अधिकांश उत्पादन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा किया जाता है। वे जानबूझ कर उत्पादन का स्तर कम करके कीमतें बढ़ा रहे हैं। परिणामस्वरूप सोडा ऐश की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है और प्राप्ति में कठिनाई होती है।

अतएव मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपनी घोषणानुसार इफको, फूलपुर से सम्बन्ध सोडा ऐश फैक्टरी स्थापित करने की दिशा में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

(vi) Need to reduce Cement price

श्री हमीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, खुले बाजार में सिमेंट की बोरी 65 रु० से 70 रु० की बेची जा रही है क्योंकि सरकार ने भाव बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स और सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार एक बोरी सिमेंट की लागत 21 रु० से 23 रु० प्रति बोरी आती है। विभिन्न प्रकार के टैक्स व किराया लगाकर भी एक बोरी की कीमत 45 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु सरकार बढ़े भाव मंजूर करके प्रति बोरी 20 रु० तथा उससे अधिक मुनाफा निगमों